बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अपर समाहर्त्ताओं के साथ दिनांक–26.06.2015 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में अपर समाहर्त्ताओं के साथ विभागीय समीक्षात्मक परिचर्चा की गयी। बैठक में अध्यक्ष, भूदान यज्ञ समिति भी उपस्थित थे।

1. अभियान भूमि दखल–देहानी :–इस अभियान की गहन समीक्षा की गई। प्रधान सचिव द्वारा इस योजना में शिविर के माध्यम से तेजी लाने का निदेश दिया गया साथ ही अवगत कराया गया की पर्चा हस्तांतरणीय नहीं है। योग्य लोगों को कब्जा दिलाया जाय। अवैध लोगों ने जो कब्जा कर रखा है, उनके विरूद्ध FIR करने का निदेश दिया गया। विवादित मामले को प्राथमिकता के साथ LRDC के माध्यम से निपटाने का निदेश दिया गया।

इस योजना को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाते हुए प्रधान सचिव द्वारा 30 सितम्बर, 2015 तक पूरा करने का निदेश दिया गया। अपर समाहर्त्ताओं को नवनियुक्त अंचलाधिकारी जिनके द्वारा कैम्प ध्यानपूर्वक नहीं देखा जा रहा है के सम्बन्ध में निदेश दिया गया कि जिला स्तर पर अंचलाधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाय।

(कार्रवाई प्रशाखा पदा0–7/8 एवं सभी जिला)

2. शहरी क्षेत्रों का सर्वेक्षण :– बैठक में शहरी क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण से संबंधित रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा की गई। पुनः प्रधान सचिव द्वारा इसे 31 अगस्त, 2015 तक निश्चित रूप से पूरा करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई प्रशाखा पदा0–7/8 एवं सभी जिला)

3. अभियान बसेरा :– समीक्षा के क्रम में अररिया एवं समस्तीपुर का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर प्रधान सचिव द्वारा समाहर्त्ता, अररिया एवं समस्तीपुर को इस आशय का पत्र देने को कहा गया है कि इस अभियान में आपके जिला में कोई काम नहीं हो रहा है। प्रधान सचिव द्वारा पुनः इस योजनान्तर्गत कलस्टर में बसाने पर विशेष जोर दिया गया तथा सर्वेक्षण का कार्य 31 अगस्त, 2015 तक पूरा करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई प्रशाखा पदा0–7 एवं सभी जिला)

4. भू–हदबंदी :– बैठक में भू–हदबंदी मामलों की गहन समीक्षा के दौरान समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता एवं अनुमंडलाधिकारी के यहां लंबित वादों के संबंध में प्रधान सचिव द्वारा पुनः निदेशित किया गया कि इसे त्वरित गति से समय सीमा के अंदर निपटाया जाय।

(कार्रवाई प्रशाखा पदा0–9 एवं सभी जिला)

5. न्यायालय वाद :–CWJC मामलों की गहन समीक्षा की गई। अररिया में 5, अरवल में 12, औरंगाबाद में 19, बांका में 12, बेगूसराय में 19, भोजपुर में 20, जहानाबाद में 10, कटिहार में 18 एवं गोपालगंज में 24 लंबित मामले पाये गये।

MJC मामलों की गहन समीक्षा की गई। कुल लंबित मामलों की संख्या 22 पायी गयी। बांका एवं नालंदा में एक भी मामले लंबित नहीं पाये गये। बेगूसराय में 1, दरभंगा में 1, किशनगंज में 1, मुजफ्फरपुर में 1 एवं पटना में 2 लंबित मामले पाये गये।

LPA मामलों की गहन समीक्षा की गई। दरभंगा में 1, रोहतास में 1, गया में 1 एवं पटना में 5 लंबित मामले पाये गये।

DCLR मामलों की गहन समीक्षा की गई। शेखपुरा एवं सीतामढ़ी सदर एवं सीमरी बख्तियारपुर ने online report नहीं किया है। अरवल, बिहार शरीफ, डेहरी, शेखपुरा, सीमरी बख्तियारपुर, सीतामढ़ी, सीवान, जहानाबाद, मधेपुरा, महाराजगंज एवं मनहार द्वारा cause list तैयार नहीं हो रहा है।

BLT Act के संबंध में वकील को निदेश भेजने के लिए कहा गया।

(कार्रवाई प्रशाखा पदा0–11 एवं सभी जिला)

6. भूदान :– भूदान से प्राप्त भूमि की संपुष्टि के मामलों की गहन समीक्षा की गई। प्रपत्र–1 के बारे में भी समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई जिलों में लाभान्वितों की संख्या पूर्व में दर्शाये गये संख्या से कम है। प्रधान सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि लाभान्वितों की संख्या पहले के रिपोर्ट के आधार पर उससे कम दिखाया जाये तो उसका सकारण जबाव देना होगा।

बैठक में अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि नवादा में भूदान का कोई कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है एवं भूदान कार्यालय मंत्री बैठक में नहीं आते हैं। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जहाँ भूदान के जिला मंत्री द्वारा दानपत्र की प्रति उपलब्ध नहीं करायी जा रही है वहाँ के अंचलाधिकारी से मिलकर दानपत्र की फोटो कापी उपलब्ध करा ले। इसके लिए अंचलाधिकारी contingency मद में प्राप्त राशि में से फोटो कापी करा लेंगे।

समीक्षा के क्रम में बतलाया गया कि भूदान की जमीन स्थानीय बदमाश एवं ताकतवर लोगों द्वारा आपस में बांट ली गई है। इसके बारे में प्रधान सचिव द्वारा नियमानुसार कार्रवाई सख्ती से लागू करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई प्रशाखा पदा0–7 एवं सभी जिला)

7. विधान मंडलीय कार्य :– इस संबंध में निदेशित किया गया कि बिहार विधान सभा /विधान परिषद् के आश्वासन समिति, निवेदन समिति एवं याचिका समिति के लंबित मामलों को जल्द से जल्द उत्तर सामग्री मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

(कार्रवाई प्रशाखा पदा0–10 एवं सभी जिला)

8. RTPS :- दाखिल–खारिज एवं एल0पी0सी0 के मामले में ज्ञात करने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया कि प्राप्त आवेदनों का निष्पादन समय सीमा के अंदर किया गया है या नहीं साथ ही जितने आवेदन को रद्द किया गया है उसका उचित कारण था या नहीं इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता बतलायी गयी।

(कार्रवाई प्रशाखा पदा0–9 एवं सभी जिला)

9. AC/DC Bill :-समीक्षा के क्र में बक्सर में 30 लाख एवं गया में 2 करोड़ 21 लाख के मामले लंबित पाये गये। प्रधान सचिव द्वारा सभी अपर समाहर्त्ताओं को अपने जिलों के बकायें AC/DC बिल का त्वरित गति से पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई प्रशाखा पदा0–5 एवं सभी जिला)

10. जनशिकायत :– बैठक में समीक्ष के क्रम में कार्रवाई विभिन्न जिलों में कुल 12928 मामले लंबित पाये गये। कुछ जिलों में एक साल से अधिक से मामले लंबित पाया गया। नालंदा में 470, रोहतास में 504, गया में 541, जहानाबाद में 191, शेखपुरा में 136, नवादा में 215, सीतामढ़ी में 339, शिवहर में 48, सिवान में 242, मुंगेर में 317 एवं मधुबनी में 426 मामले पाये गये। सभी जिलों में मुख्य सचिव के यहाँ के 472, अन्य स्त्रोत से 3980, विश्वास यात्रा के 12, क्षेत्रभ्रमण यात्रा के 357, सेवा यात्रा के 285 एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के 2462 मामले लंबित पाये गये।

प्रधान सचिव ने सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया कि जिलों में भूमि विवाद में सम्बन्धित जो समस्या सुलझ सकती है, उसे प्राथमिकता से सुलझा लें ताकि 'जनता के दरवार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम में राजस्व सम्बन्धी कम–से–कम मामले आयें।

(कार्रवाई जन शिकायत कोषांग एवं सभी जिला)

11. कृषि गणना :– बैठक की समीक्षा के क्रमें में पाया गया कि 9वाँ कृषि गणना तीसरा चरण का सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी कुछ जिलों से अप्राप्त है। सभी अपर समाहत्ताओं को निदेशित किया गया कि जल्द–से–जल्द इसे भेजा जाय क्योंकि जुलाई, 2015 से 10वाँ कृषि गणना प्रारम्भ हो रही है।

(कार्रवाई कृषि गणना एवं सभी जिला)

12. लोक–लेखा :– बैठक की समीक्षा के क्रम में भोजपुर में कंडिका 3.5 एवं 5.2 एवं गया में 3.5 एवं 5.2 लंबित पाया गया। इसे शीघ्र निष्पादित करने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

13. विभागीय कार्यवाही :–सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने जिलों के लंबित विभागीय कार्यवाही का निष्पादन त्वरित गति से किया जाय।

(कार्रवाई निगरानी कोषांग एवं सभी जिला)

14. चकबंदी :–22.06.2015 से चकबंदी का कार्य शुरू हो गया है। प्रधान सचिव द्वारा बतलाया गया कि इसका रोड मैप भी तैयार कर सम्बन्धित जिलों को भेज दिया गया है।

कार्रवाई चकबंदी निदेशालय एवं सभी जिला

15. भू–अभिलेख एवं परिमाप :– प्रधान सचिव द्वारा बतलाया गया कि कम्प्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकार्ड के योजनाओं की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा की जानी है।

केन्द्र प्रायोजित योजना एन0एल0आर0एम0पी0 के अंतर्गत भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना से संबंधित चेकलिस्ट उपलब्ध कराने हेतु भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय से पत्रांक– 1792, दिनांक 24.11.2014 एवं पत्रांक– 143, दिनांक 28.01.2015 द्वारा भेजा गया था। पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को छोड़कर अन्य जिलों से चेकलिस्ट की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जिन जिलों द्वारा रिपोर्ट भेजी गई है उनमें से 5 जिलों से संतोषजनक रिपोर्ट नहीं भेजा गया है ये जिले हैं– सारण, बेगूसराय,पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), सहरसा एवं मुजफ्फरपुर।

शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, सीवान, मुजफ्फरपुर, कटिहार, पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण, सीतामढ़ी, बांका, मधुबनी, सुपौल जिलों से ऑनलाईन रिपोर्ट नहीं भेजा गया है। 25 ऐसे जिले हैं जहाँ से रिपोर्ट नहीं आया है।

मामलों की समीक्षा में प्रधान सचिव द्वारा बतलाया गया कि जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता एवं राज्य स्तर पर निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप नोडल पदाधिकारी होते हैं।

आधुनिक अभिलेखागार –सह– डाटा केन्द्र के निर्माण हेतु पत्रांक–1483, दिनांक 25.09.2014 द्वारा पत्र भेजा गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 10 जिलों से रिपोर्ट आयी है और बाकी 28 जिलों द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजा गया है। प्रधान सचिव द्वारा अविलम्ब वांछित रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं सभी जिला)

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–10 / सम0अ0स0 (बैठक)कार्यवाही–43 / 2014 191 (10) / रा0, पटना–15, दिनांक– 22-07-15

ई-मेल / फैक्स

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी समाहर्त्ता / माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव / सभी विभागीय पदाधिकारीगण / सभी प्रशाखा पदाधिकारीगण, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.7.15
(विनोद कुमार झा)
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।